न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया एवं पैराकार सरकार की बहस सुनी गई एवं साक्ष्य/दस्तावजों का अध्ययन/मनन किया गया। विपक्षी अधिवक्ता मुकेश धाकड़ द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं प्रस्तुत साक्ष्यों का अध्ययन किया गया। उभयपक्षों की बहस सुनी गई। न्यायायलय को प्रतित होता है कि विवादित आराजी में किसी प्रकार का अवैध खनन नहीं हुआ। पत्रावली के सभी दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए पत्रावली में आदेश पारित किए जाते हैं कि:—

—: आदेश :—

प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** खारिज किया जाकर आदेश दिया जाता हैं कि **ग्राम माहुपुरा पटवार मण्डल तिलस्वां तहसील बिजौलियां की सरहद में स्थित खाता संख्या 10 में अंकित आराजी नम्बर 11 रकबा 0.2428 हैक्टेयर भूमि** में अवैध खनन होना प्रमाणित नहीं होता है कृषक द्वारा सिंचाई के लिए खेत तलाई का निर्माण किया गया था। **अतः वाद पत्र खारिज/निरस्त किया जाता है** । डिकी मूर्तिब हो। तहसीलदार बिजौलियां को सूचनार्थ तहरीर जारी हो।

आदेश आज दिनांक 09/09/**2025** को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

राजस्थान सरकार

9. यह कि प्रतिवादी धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो के तहत खातेदार काश्तकार के हित में न्यायालय द्वारा निर्धारित समयावधि दी जाकर खातेदारी अधिकारो की रक्षा हेतु दिये गये निर्देशो की पालना करने को भी तैयार है एंव न्यायालय द्वारा जो भी समयावधि निश्चित की जायेगी प्रतिवादीगण उक्त भूमि पर स्थित गढ्ढे को भरकर उन्नत आबाद करने को तैयार है।

10. यह कि धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत यह वाद–पत्र चलने योग्य नही है।

श्रीमान से सादर निवेदन है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण खारिज फरमाया जावें। जवाब संलग्न पत्रावली है। पत्रावली को तनकी के स्तर पर रखा गया। पत्रावली में तनकी कायम की गई जिसके बिन्दु निम्नानुसार हैः–

तनकी नम्बर 01 आया किः– वादग्रस्त भूमि पर खातेदारों ने मौके पर फसल काश्त नहीं है।

....जिम्मेवादी

तनकी नम्बर 02 आया किः– वादग्रस्त भूमि की खातेदारो द्वारा खातेदारी अधिकार की शर्तो की पालना नहीं की गई।

....जिम्मेवादी

तनकी नम्बर 03 आया किः– वादग्रस्त भूमि पर खातेदारों ने अवैध खनन किया एवं मौके पर पानी भरा हुआ है।

....जिम्मेवादी

तनकी नम्बर 04 आया किः– वादग्रस्त भूमि का पर्चा मौका मनगढ़त गलत एवं निराधार होकर बेबुनियाद है।

.....जिम्मेप्रतिवादी

तनकी नम्बर 05 आया किः– वादग्रस्त भूमि का प्रतिवादियों द्वारा किसी प्रकार का अवैध खनन नहीं किया गया।

.....जिम्मेप्रतिवादी

तनकी नम्बर 06 आया किः– वादग्रस्त भूमि का प्रतिवादियों द्वारा कृषी उपयोग किया जा रहा है , प्रतिवादी निरन्तर काश्त की जाती रही है एवं खातेदारी अधिकारों की अवहेलना नहीं की है।

.... जिम्मेप्रतिवादी

पत्रावली को साक्ष्यवादी स्तर पर रखा गया। साक्ष्यप्रतिवादी में पटवारी बलराम मीणा पटवार हल्का सुखपुरा के बयान लेखबद्ध किए गए। बयान संलग्न पत्रावली है। बयानों में पटवारी द्वारा दावें में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराया। पत्रावली को जिरक के स्तर पर रखा गया । विपक्षी अधिवक्ता द्वारा जिरह की गई जिसमें पटवारी द्वारा स्वीकार किया गया कि मौका पर्चा बनाने हेतु आदेश नहीं मिला था। मौका पर्चा के लिए खातेदारों का सूचना नहीं दी गई थी। विवादित आराजी पर किसी प्रकार का मुकदमा/पैनल्टी/जुर्माना/पंचनामा नहीं बना हुआ है। पत्रावली का साक्ष्य प्रतिवादी के स्तर पर रखा गया। साक्ष्य प्रतिवादी में विपक्षी कंवरलाल के बयान लेखबद्ध किए गए जिसमें विपक्षी ने बताया की हमने सिंचाई के लिए खेत तलाई बनाई थी जिसमें बारिश का पानी भरा हुआ था, पटवारी द्वारा बिना सूचना के मौका पर्चा बनाया गया। हमारे द्वारा किसी प्रकार का अवैध खनन कार्य नहीं किया गया। खेत तलाई सिंचाई के लिए निर्मित की गई है। पत्रावली में तनकी के बिन्दुवार निर्णय किया गया जो अग्रलिखित हैः–

तनकी नम्बर 01 प्रतिवादी के पक्ष में आंशिक रूप से निर्णित की गई।

तनकी नम्बर 02 प्रतिवादी के पक्ष में बयानों के आधार पर निर्णित की गई।

तनकी नम्बर 03 आंशिक रूप से तथ्यों के आधार पर प्रतिवादी के पक्ष में निर्णत की गई।

तनकी नम्बर 04 वादी के विरूद्ध निर्णित की गई।

तनकी नम्बर 05 तथ्यों के आधार पर प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की गई।

तनकी नम्बर 06 गवाहों के बयानों के आधार पर प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की गई।

लगातार पेज संख्या 04 प

उप खण्ड अधि
बिजौलियाँ जिला-

विपक्षी 01,2,3 की ओर से विद्वान अधिवक्ता मुकेश धाकड़ ने अधिकार पत्र प्रस्तुत किया एवं विपक्षी 4 को तीन बार आवाज लगाई गई परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ विपक्षी 04 के विपक्षी में एक पक्षीय आदेश पारित किए गए। पत्रावली को जवाब के स्तर पर रखा गया विपक्षी की और से प्रस्तुत जवाब के संक्षेप तथ्य 01. इस प्रकार यह कि वाद पत्र की कलम नम्बर 1 स्वीकार होकर मौजा ग्राम माहुपुरा पटवार हल्का तिलस्वां में आराजी नम्बर 11 रकबा 0.2428 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादीगण के नाम होना स्वीकार है।

2. यह कि वाद पत्र की कलम नम्बर 2 गलत होकर अस्वीकार है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि पर सिंचाई के संसाधनों के अभाव मे दोनो फसल काश्त किया जाना संभव नहीं होता है। मौके पर्चे मे वादग्रस्त भूमि पर अवैध खनन का गढ़ढा होकर पानी भरा होना अंकित किया हैं जिसके जवाब मे निवेदन हैं कि मौके पर खनन कार्य होता तो किसी प्रकार की कोई खनन सामग्री या माल भी किसी न किसी रूप में मौजूद होता ऐसा कोई तथ्य मौके पर्चे मे अंकित नही है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि मे सिंचाई हेतु फार्म पोण्ड का निर्माण किया हैं जिससे कृषि कार्य हेतु वादग्रस्त भूमि की सिंचाई की जाती है एंव प्रतिवादी द्वारा उक्त भूमि का कृषि उपयोग किया जा रहा है। प्रतिवादी द्वारा निरन्तर काश्त की जाती रही है। मौका पर्चा गलत कायम किया गया है।

03. यह कि वादपत्र की कलम नम्बर 3 में अंकित भूमि प्रतिवादी द्वारा कृषि कार्य हेतु क्रय की जाकर निरन्तर काश्त की जाती रही है। वादग्रस्त आराजी में स्थित फार्म पोण्ड से वादग्रस्त आराजी की सिंचाई की जाकर कृषि कार्य किया जाता रहा है। पटवार हल्का तिलस्वां द्वारा जो मौका पर्चा कायम किया गया वह प्रतिवादी की गैर मौजूदगी में मनमाफीक तरीके से बनाया गया है। प्रतिवादी द्वारा किसी भी प्रकार से उक्त भूमि पर अवैध खनन नहीं किया है एंव खातेदारी अधिकारो की अवहेलना नहीं की है। सम्बंधित राजस्व कर्मियो द्वारा कायम किया गया मौका पर्चा मनगढंत गलत एंव निराधार होकर बेबुनियाद है। उक्त मौका पर्चा राजस्वकर्मियो द्वारा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतो की पालना किये बिना, प्रतिवादीगण को बिना सुनवाई का अवसर दिये, प्रतिवादी की अनुपस्थिति में कायम किया गया हैं जो काबिल खारिजी के है।

4. यह कि वादपत्र की कलम नम्बर 4 अस्वीकार है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त वादग्रसत भूमि पर कोई अवैध खनन नही किया है। मौके पर आज भी भूमि पर आज भी भूमि पर काश्त की जाकर आराजी नम्बर 11 रकबा 0.2428 हैक्टेयर में स्थित फार्म पोण्ड से वादग्रस्त आराजी की सिंचाई की जाकर काश्त की जाती रही है। पटवार हल्का तिलस्वां द्वारा कायम मौके पर्चे में भी उक्त फार्म पोण्ड में पानी भरा हुआ अंकित है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रतिवादीगण की उक्त खातेदारी भूमि पर किसी प्रकार का अवैध खनन नही किया है। प्रतिवादीगण उक्त भूमि पर विगत वर्षो मे निरन्तर काश्त करता चला आ रहा हैं प्रतिवादीगण द्वारा खातेदारी अधिकारो की शर्तो की अवहेलना नही की गई है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त आराजी पर या उक्त आराजी के किसी भी हिस्से पर अवैध खनन कार्य नही किया गया है। मौका पर्चा मन माफिक बिना कोई जांच किये, बिना प्रतिवादी को सुनवाई का अवसर दिये, प्रतिवादी की अनुपस्थिति मे मन माफिक रुप से कायम किया गया हैं जो काबिज निरस्ती के है।

5. यह कि वाद पत्र की कलम नम्बर 5 कानुनी होने से जवाब की आवश्यकता नही है।

6. यह कि वाद पत्र की कलम नम्बर 6 कानुनी होने से जवाब की आवश्यकता नही है।

7. यह कि वाद पत्र की कलम नम्बर 7 कानुनी होने से जवाब की आवश्यकता नही है।

8. यह कि मौका पर्चा जिसके आधार पर धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया हैं उक्त मौका पर्चा जवाबदाता प्रतिवादी को बिना सुनवाई का अवसर दिये, प्रतिवादी जवाबदाता की अनुपस्थिति मे, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतो की अवहेलना कर कायम किया गया है एंव मौके पर्चे में प्रतिवादी द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी पर खनन कार्य करना अंकित किया हैं जो कि गलत हैं, जवाबदाता प्रतिवादी द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी पर कोई खनन कार्य नही किया गया है।

लगातार पेज संख्या 03 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – श्रीमान् अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस)

वादपत्र संख्या 21 / 2024 दायर तारीख 24.01.2024

अनवान्

01. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.........वादी

बनाम्

01. कंवरलाल पुत्र प्रभुलाल हिस्सा 1/4 जाति गुर्जर सा.गुढ़ा राजपुरा तहसील तालेड़ा बून्दी
02. गजराज सिंह पुत्र हरिसिंह हिस्सा 1/3 जाति राजपूत सा.लाम्बाखोह तहसील तालेड़ा, बून्दी
03. भोजा पुत्र होक्मा हिस्सा 1/12 जाति अहीर सा. तिलस्वा तहसील बिजौलियां, भीलवाडा
04. सोहनी पुत्री होक्मा हिस्सा 1/3 जाति अहीर सा. तिलस्वां तहसील बिजौलियां भीलवाड़ा

..प्रतिवादीगण

उपस्थित :– 1. पैरोकार तहसीलदार। ....अधिवक्ता वादी
2. श्री मुकेश धाकड़ .....अधिवक्ता प्रतिवादीगण।

कार्यवाही अर्न्तगत धारा 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :–

दिनांक :– 09/09/2025

संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी तहसीलदार बिजौलियां ने वादपत्र अर्न्तगत **धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया/अनुतोष चाहा कि ग्राम माहुपुरा पटवार मण्डल तिलस्वां तहसील बिजौलियां की सरहद में स्थित खाता संख्या 10 में अंकित आराजी नम्बर 11 रकबा 0.2428 हैक्टेयर भूमि पर प्रतिवादीगणों द्वारा कृषि कार्य नहीं किया गया। उक्त वर्णित आराजी पर खातेदारों द्वारा अवैध खनन का गढ्ढा होकर पानी भरा हुआ है। मौका पर्चा संलग्न पत्रावली है। उक्त आराजी पर प्रतिवादीगणों को मात्र कृषि कार्य हेतु खातेदारी अधिकार प्रदत्त था। प्रतिवागण द्वारा भूमि कृर्षि कार्य हेतु उपयोग नहीं लिया गया। प्रतिवादी ने खातेदारी अधिकार की शर्तो की पालना नहीं कर अवहेलना करने से भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज करने योग्य है। अतः प्रतिवादी की उक्त आराजीयात को खारीज कर बिलानाम सरकार दर्ज कराना फरमावें। तहसीलदार बिजौलियां ने वाद पत्र के साथ मौका पर्चा पटवारी तिलस्वां एवं भू.अभि.निरिक्षक कांस्या द्वारा तैयार किया गया। एवं नक्शा ट्रेस,गुगल मैप , जी.पी.एस. फोटो ग्राफ,जमाबन्दी 2073–2076 ग्राम माहुपुरा खाता संख्या 10 की पेश की जो संलग्न पत्रावली है।

वादपत्र दिनांक 24.01.2024 को दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगणों को नोटिस जारी किये गये। नोटिस बाद तामील प्राप्त हुये। जिनको शामिल पत्रावली किया गया।

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियॉ, जिला–भीलवाड़ा

TDR बनाम कँवरलाल

किस्म मुकदमा धारा 177 RTA प्रकरण संख्या 21/24

GCMS नम्बर:– 2024/25

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29/7/25	पत्रावली पेश हुई वकील प्रतिवादी बहस हेतु अवसर चाहते है अतः अवसर दिया जाकर पत्रावली वास्ते बहस आगामी दिनांक 12.8.25 को पेश हो। (initials)	
12.8.25	पत्रावली पेश हुई बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते निरन्तर बहस आगामी दिनांक 19.8.25 को पेश हो। (initials)	
19/8/25	पत्रावली पेश हुई पत्रावली वास्ते निरन्तर बहस 26/8/25 को पेश हो। (initials)	
26.8.25	पत्रावली पेश हुई पैरोकार सरकार एवं वकील प्रतिवादी उपस्थित। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय आगामी दिनांक 9.9.25 को पेश हो। (initials)	
9/9/25	पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता वादी एवं पैरोकार सरकार उपस्थित। पत्रावली को गुणावगुण व मेरिट के आधार पर अस्वीकार/खारिज किया गया। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया [illegible] खुले न्यायालय में सुनाए गए। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	

(signature)

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा